न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 144/2016

सम्पत कुमार सारडा पुत्र स्व० श्री घनश्यामदास झारडा जाति माहेश्वरी उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी डी–25, लक्ष्मीनारायण विहार कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान – वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

–प्रतिवादी

आदेश

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 25/8/15

वकील वादी :– श्री रामदेव गुर्जर

वकील प्रतिवादी:– श्री पैरोकार सरकार

वादी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा है जिस पर वादी विगत 30–40 वर्षा से निर्बाध रूप से लगातार कब्जा काश्त कर रहा है एवं करवा रहा है।वादी के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति किशना पुत्र लादू रावत वादी के पास ही निवास करता था एवं वादी की ही सेवा चाकरी, करता आ रहा था उक्त आराजी में वादी द्वारा सार, संभाल करने हेतु उपरोक्त आराजी में ही झोपड़ी बनाकर विश्वास पात्र किशना पुत्र लादू रावत को रख रखा था जिसके नाम से राजस्व रिकोर्ड में सम्वत 2026 से 2047 तक खसरा परिवर्तनशील पर काश्त वाले एवं निजी व्यक्ति के नाम से इन्द्राज है। विगत कुछ वर्षों से वादी का निजी एवं विश्वास पात्र व्यक्ति फोत होने के पश्चात वादी द्वारा ही उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वादी उपरोक्त आराजी में निरन्तर एवं आबाद रूप से काबिज काश्त रहने के कारण विधि के तहत (By Operation of Law) वादी के खातेदारी अधिकार उपरोक्त आराजी में परिपक्व हो चुके है। इस कारण से वादी खातेदारी उद्देषणा हेतु वाद श्रीमान् की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी द्वारा सन् 1978 में प्रतिवादी के समक्ष उपरोक्त आराजी का अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की नियमन/आवंटन की कार्यवाही न करके वादी के विधिक अधिकारों का कुठाराघात किया गया है। जब कि वादी उपरोक्त आराजी पर सद्भाविक कृषक की श्रेणी में इंगित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत कृषक है एवं उपरोक्त आराजी पर निरन्तर रूप से कृषकीय कार्य किया व करवाया जा रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी काश्तकार के द्वारा विवादित आराजी पर विगत 30 वर्षों तक लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी समय समय पर परिपत्रों व विधायकी द्वारा पारित नियमों, विधियों के तहत उपरोक्त आराजी वादी के पक्ष में आवंटन या नियमन की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया वादी के पक्ष में न होने से वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत उद्घोषणा का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी या प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति, संस्था के द्वारा किसी प्रकार की वादी के उपयोग उपभोग की आराजी में मदाखलत उत्पन्न करते है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम है। इस रूप से उक्त बाद में धारा 188 का अनुतोष वादी द्वारा प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति (सार संभाल करने वाला) व्यक्ति के नाम से विगत 30–40 से लगातार निर्बाध रूप से काबिज रहने के कारण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सरकारी लगान वादी द्वारा अदा करते आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके तारबन्दी करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है एवं करवाया जा रहा है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 30–40 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से वादी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विंसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से वादी के पक्ष में वाद वर्णित आराजी 4 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने का वादी कानूनन् अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षा के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि वादी विगत 30–40 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने से वादी के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज.–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार वादी को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपन्नों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार वादी सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 30–40 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है प्रतिवादी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है एवं उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने, एवं वाद वर्णित आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम दर्ज नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जावे। वाद कारण दिनांक 26.07.2016 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ कर्मचारी अर्थात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर वादी को बेदखल करने के मौखिक निर्देश दिये तब वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से संम्पर्क कर उक्त वर्णित आराजी से संबंधित राजस्व दस्तावेज का आवेदन प्रतिवादी के समक्ष किया गया तब दिनांक 28.7.2016 को राजस्व दस्तावेज अधिवक्ता को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब रूप से वाद पेश किया है जब कि वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी राज्य सरकार का अधिनस्थ अधिकारी है। घोषणात्मक वाद पेश करने के पूर्व 2 माह का धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना अनिवार्य है जिसके तहत पूर्व में वादी द्वारा प्रतिवादी व राज्य सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर को नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से वादी को कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया। फिर भी आक्षेपो से बचने के लिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वादी का वाद पेश करने की अनुमति चाहने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। वाद में वर्णित आराजी श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है। वाद में मियाद जैसा प्रश्न लागू नहीं होता है। वादी की श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ के पुराने खसरा संख्या 111 जिसके नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादी को खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

ा वाद दिनांक 04.08.2016 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी करवाई गई। 14.12.2016 को पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि जस्व ग्राम किशनगढ की खातौनी एकीकरण सम्वत 2019के खाता संख्या 01 में खसरा संख्या 111 रकबा 26 बीघा 02 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल सिवायचक खातें में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्णित खसरा संख्या 111 से वर्णित खसरा संख्या 168 रकबा 04 बीघा 06 बीस्वा बना है। वादी का नाम गत 03 वर्षों से खसरा परिवर्तनशील में किसी प्रकार से इन्द्राज नहीं है। मौके पर वादी का कब्जा नहीं है। वर्णित भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ12सी/11/147 दिनांक 01.09.2011 से नगर परिषद किशनगढ को हस्तानान्तरित होकर नामान्तरण संख्या 2060 दिनांक 11.01.2012 से नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज है। अन्य व्यक्ति के नाम खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। वादी धारा 15 एवं धारा 15 ए ए ए के प्रावधान प्रकरण में वर्णित परिस्थितीयों पर लागू नही होतें है। प्रकरण में वादी खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि वाद वर्णित भूमि सिवायचक होकर नगरपरिषद किशनगढ के नाम दर्ज है जिससे वाद सव्यय खारिज योग्य है।

दिनांक 07.09.2018 को वकील वादी की ओर से गवाह जयचन्द्र, भीखाराम, सम्पत कुमार के शपथ पत्र पेश किये गये।

दिनांक 14.09.2020 को वाद में तनकीयात कायम की गई। दिनांक 13.01.2025 को वादी की साक्ष्य ली गई तथा प्रदर्श अंकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इस प्रकार है:-

प्रदर्श 01 जमाबन्दी ग्राम मदनगंज सम्वत 2067–70 नामान्तरण संख्या 2060 दिनांक 11.01.2012

प्रदर्श 02 खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2027–2037 ,

प्रदर्श 03 पी 14 सम्वत 2022 से 2026

प्रदर्श 04 पी 14 सम्वत 2038,

प्रदर्श 05 पी 14 संवत 2039–47,

प्रदर्श06 मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श

07 धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र

दिनांक 13.01.2025 को पैरोकार सरकार की ओर से वादी गवाह की जिरह पूर्ण की गई। दिनांक 25.08.2025 को वकील वादी द्वारा बहस की गई एवं लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा है जिस पर वादी विगत 40–50 वर्षों से निर्बाध रूप से लगातार कब्जा काश्त कर रहा है एवं करवा रहा है। वादी के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति किशना पुत्र लादू रावत वादी के पास ही निवास करता था एवं वादी की ही सेवा चाकरी, करता आ रहा था उक्त आराजी में वादी द्वारा सार, संभाल करने हेतु उपरोक्त आराजी में ही झोपड़ी बनाकर विश्वास पात्र किशना पुत्र लादू रावत को रख रखा था जिसके नाम से राजस्व रिकोर्ड में सम्वत 2026 से 2047 तक खसरा परिवर्तनशील अर्थात पी–14 की रिपोर्ट वादी के सार संभाल करने वाले एवं निजी व्यक्ति के नाम से इन्द्राज है। विगत कुछ वर्षों से वादी का निजी एवं विश्वास पात्र व्यक्ति फोत होने के पश्चात वादी द्वारा ही उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वादी उपरोक्त आराजी में निरन्तर एवं आबाद रूप से काबिज काश्त रहने के कारण विधि के तहत वादी के खातेदारी अधिकार उपरोक्त आराजी में परिपक्व हो चुके है। वादी द्वारा सन् 1978 में प्रतिवादी के समक्ष उपरोक्त आराजी का अपने पक्ष में आवंटन / नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की नियमन / आवंटन की कार्यवाही न करके वादी के विधिक अधिकारों का कुठाराघात किया गया है। जब कि वादी उपरोक्त आराजी पर सद्भाविक कृषक की श्रेणी में इंगित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत कृषक है एवं उपरोक्त आराजी पर निरन्तर रूप से कृषकीय कार्य किया व करवाया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी काश्तकार के द्वारा विवादित आराजी पर विगत 40
...क लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी समय
...य पर परिपत्रों व विधायकी द्वारा पारित नियमों, विधियों के तहत उपरोक्त आराजी वादी के पक्ष में
आवंटन या नियमन की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया वादी के पक्ष में न होने से वादी द्वारा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत उद्घोषणा का अनुतोष माननीय
न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी या प्रतिवादी के अधिनस्थ
कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति, संस्था के द्वारा किसी प्रकार की वादी के उपयोग, उपभोग की आराजी में
मदाखलत उत्पन्न करते है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी स्थायी
निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम है। इस
रूह से उक्त वाद में धारा 188 का अनुतोष वादी द्वारा प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया जा रहा है।
वादी के विश्वास पात्र एवं निजी व्यक्ति (सार संभाल करने वाला) व्यक्ति के नाम से विगत 40–50
वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज रहने के कारण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सरकारी
लगान वादी द्वारा अदा करते आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक
परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके तारबन्दी करके
उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है एवं करवाया जा रहा है।
आवंटन / नियमन नियम 1970 के नियम 20 (क) सन् 2001 में केवल अजमेर जिले के लिये नियत
किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि भू–संशोधन के दौरान किसी को खातेदारी अधिकार
अथवा अनुशंसा कर दी गयी तो पुनः उसको आवंटन / नियमन किया जाना आवश्यक है।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में 15.6.1958 को प्रभावी हुआ अर्थात उसके
समकालिन अपीलान्टस का वर्णित आराजी में कब्जा काश्त होने से अपीलान्टस कानूनी
प्रावधानोनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण श्री सरकार के नाम दर्ज है एवं जगीदारी,
बिस्वेदारी उन्मुलन अधिनियम प्रभाव में आने से जगीदारी की भूगि जो खुद काश्त नहीं थी तथा अन्य
व्यक्ति उस पर काश्त कर हो वह काश्तकार धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के
अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 के प्रावधान दिनांक 15.6.1958 को लागू किया गया था उस समय टेनेन्सी की धारा
15 (ख) प्रावधान जोड़ कर स्पष्ट किया गया कि संवत 2014 में काबिज काश्तकार खातेदारी प्राप्त
कर सकेगा। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 40–50 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज
रहने से वादी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व
हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए, में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में
काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विसंगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से वादी के पक्ष में चाद
वर्णित आराजी 4 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने का
वादी कानूनन् अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग
क्रमांकः / प.06 (39) राज.–6 / 2001 / 6 जयपुर दिनांक 07.06. 2003 को श्रीगान् बी.एस. गीणा साहब
शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का
कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के
नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि वादी विगत 30–40 वर्षों से
उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने से वादी के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व
हो चुके है। राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र / आदेश जारी किया गया है जो क्रगांक : प. 6(7)
राज / 4 / 77 / 15 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में आदेश पारित किया गया है कि " इस विभाग के
आदेश संख्या प. 6(7) राज / 4 / 77 / 6 दिनांक 01.04.1991 तथा अधिसूचना प. 6 (7)
राज / ग्रुप–4 / 77 / 12 दिनांक 01.04.1991 के क्रम में सिवायचक एवं गैर गुगकिन भूगियों पर 15.
07.1984 तक के किये गये अतिक्रमणों को नियगन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य
सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 15.07.1984 को बढ़ाकर 15.07.1994 कर दिया जाये।
तद्नुसार उपरोक्त वर्णित परिपत्रों/आदेशों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही करें" क्रगांक : प. 9(6) राज
6 / 2000 / 16 जयपुर दिनांक 16. 10.2001 को परिपत्र जारी किया गया है कि "राज्य सरकार ने
निर्णय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक, चारागाह, गैर गुगकिन भूगि पड दिनांक 01.07.1989 से पूर्व
आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये सभअतिक्रमणों का नियगन उन्हीं शर्तों और निर्बन्धानों पर
किया जावे, 18.02.1955 से 01.07.1975 तक किये गये अतिक्रमणों के नियगन पर लागू होते है और
जो इस विभाग के परिपत्र क्रगांक प. 6 (17) राज–ख / 71 दिनांक 03.07.1971 तथा परिपत्र क्रगांक
प. 6 (10) राज–4 / 77 दिनांक 23.04.1977 में उल्लेखित है। यह व्यवस्था रिकार्ड में दर्ज वन
विभाग के नाम दर्ज भूमि के लिये लागू नही होगी। विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूगि में
काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियगन के अधिकार वादी को प्राप्त
है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित सगय सगय पर परिपत्रों को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

...य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभपहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार वादी सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 40–50 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है प्रतिवादी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है एवं उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने, एवं वाद वर्णित आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के नाम दर्ज नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी फरमाई जावे, वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ के पुराने खसरा संख्या 111 जिसके नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादी को खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी फरमाई जावे। वाद वर्णित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने, अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था के नाम इन्द्राज नहीं करने हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाई जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का याद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़ के पुराने खसरा संख्या 111 जिसके नवीन खसरा नम्बर 168 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा भूमि में वादी को खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। हमारे द्वारा वकील उमयपक्ष की बहस सुनी गई एवं वाद का तनकीवार विश्लेषण किया गया:–

• तनकी संख्या 01:– आया वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित राजस्व ग्राम किशनगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 111 वर्तमान खसरा संख्या 168 रकबा 04 बीघा 06 बीस्वा का पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्ति का अधिकारी है:– वादी

निर्णय :– तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद में किसी अन्य की कब्जे की भूमि जो वादी के अनुसार वादी की थी में कब्जे के आधार पर खातेदारी की उद्घोषणा चाही गई है। वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में प्रदर्श 01 जमाबन्दी ग्राम मदनगंज सम्वत 2067/70 नामान्तरण संख्या 2060 दिनांक 11.01.2012, प्रदर्श 02 खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2027–2037 , प्रदर्श 03 पी 14 सम्वत 2022 से 2026 , प्रदर्श 04 पी 14 सम्वत 2038, प्रदर्श 05 पी 14 संवत 2039–47, प्रदर्श06 मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग पेश कियें है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट हे कि वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। खसरा परिवर्तनशील में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है जो कि वादअधीन भूमि पर बतौर अतिक्रमी रहा। फिर भी वादअधीन भूमि तत्कालीन समय में राजकीय भूमि थी एवं वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज है। किसी अन्य के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार नहीं प्रदत्त किये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों एवं परिपत्रों के द्वारा राजकीय भूमि पर केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिविरूद्ध माना गया है। (परम सुख बनाम स्टेट 1978 आर.आर. डी. 482) (राज. सरकार बनाम गिरधारीलाल 1988 आर.आर. डी. 78) (राज. सरकार बनाम धरमा 1988 आर.आर. डी. 364)(रामसिंह बनाम रतिराम 1996 आर.आर.डी. 389 पेज संख्या 391)। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

• तनकी संख्या 02:– आया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/प09(6)राज./2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 के अधिनियम परिपत्र अनुसार 10 वर्षो से अधिक कब्जा कास्त होने खातेदार अधिकार की घोषणा का अधिकारी है– वादी

निर्णय :– राज. सरकार के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार नियमन की गई भूमि का निर्बन्धन शर्तो के अनुसार किया जायेगा किन्तु तनकी को सिद्ध करने बाबत वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी जिससे वादी सिद्ध हो कि उक्त भूमि वादी को नियमन हुई हो। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 03:– आया वादग्रस्त भूमि पर पुराना निर्वावाद कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है – वादी

निर्णय :– वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध घोषणात्मक श्रेणी का अनुतोष चाहा है किन्तु वादी तनकी संख्या 01 को सिद्व करने में असफल रहें हैं, वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है तथा वादअधीन भूमि वर्तमान में नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज है, तनकी संख्या 01 की रूह में उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04:– आया वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक/एफ12/सी./11/147 दिनांक 01.09.2011 से नगर परिषद के नाम दर्ज है चुकी है दावा प्रस्तुत करने से पूर्व भूमि नगर परिषद को हस्तान्तरण होने से वाद चलने योग्य नहीं है– प्रतिवादी

निर्णय :– वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक/एफ12/सी./11/147 दिनांक 01.09.2011 से नगर परिषद के नाम दर्ज है चुकी है, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार हस्तान्तरित की गई है, तथाकथित किशना केवल बतौर अतिक्रमी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजकीय भूमि होने से तथा वर्तमान में नगर परिषद की सीमा में स्थित होने से वादअधीन भूमि आवंटन एवं नियमन योग्य नहीं है। वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज है जिसके बाबत तहसीलदार किशनगढ द्वारा उल्लेख किया गया है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 05:–आया नगर परिषद को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है:–
प्रतिवादी

निर्णय :– वादअधीन भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार हस्तान्तरित होकर नगरपरिषद किशनगढ के नाम दर्ज है एंव वादी द्वारा नगरपरिषद को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। घोषणात्मक वाद में भूमिधारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, बिना भूमिधारी को पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। (जगन्नाथ बनाम नाथी 1979 आर.आर.डी.86) अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

वाद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी तथा वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)